<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

08.10.2025

जाँच के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 50(2) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 37 के प्रावधानों के तहत समन जारी किए जाते हैं। हालाँकि, प्रवर्तन निदेशालय के संज्ञान में कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें कुछ "बेईमान" व्यक्तियों (कॉनमैन) ने धोखाधड़ी या जबरन वसूली के इरादे से व्यक्तियों को समन भेजे हैं। ये फर्जी समन अक्सर ईडी द्वारा जारी किए गए असली समन जैसे ही होते हैं, इसलिए व्यक्तियों के लिए नकली और असली समन में अंतर करना मुश्किल होता है।

2. व्यक्तियों को प्राप्त समन की प्रामाणिकता सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, प्रवर्तन निदेशालय ने एक ऐसे सिस्टम के माध्यम से समन जारी करने की एक प्रणाली लागू की है, जिसमें समन के नीचे क्यूआर कोड और एक विशिष्ट पासकोड अंकित होता है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वे कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में केवल इसी प्रणाली के माध्यम से समन जारी करें। यह भी ध्यान रखें कि इस प्रणाली से जारी समन पर समन जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर लगी होगी और उसमें पत्राचार के लिए उसका आधिकारिक ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी होगा।

3. समन प्राप्तकर्ता नीचे उल्लिखित दो प्रक्रियाओं में से किसी का पालन करके समन की प्रामाणिकता को सत्यापित कर सकता है-

(i) क्यूआर कोड स्कैन करके सत्यापन: क्यूआर कोड स्कैन करके सिस्टम द्वारा जनरेटेड समन की प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना आवश्यक है-

- **चरण-1**: समन पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करें जो उपयोगकर्ता को ईडी की वेबसाइट पेज पर ले जाएगा
- **चरण-2**: क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद खुले वेबपेज पर दिए गए फ़ील्ड में समन पर मुद्रित युनीक पासकोड दर्ज करें
- **चरण-3**: यदि दर्ज किए गए विवरण सही हैं, तो समन की विषय-वस्तु (जैसे, समन किए गए पक्ष का नाम, अधिकारी का नाम और पदनाम, समन की तिथि) समन की प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए स्क्रीन पर दिखाई जाएगी।

(ii) समन का विवरण दर्ज करके सत्यापन: ईडी की आधिकारिक वेबसाइट पर समन का विवरण दर्ज करके सिस्टम द्वारा उत्पन्न समन की प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना आवश्यक है

चरण-1 — https://enforcementdirectorate.gov.in/ यूआरएल खोलें और 'अपने समन सत्यापित करें' मेनू पर क्लिक करें

चरण-2 — समन के शीर्ष पर उल्लिखित समन संख्या और समन के नीचे मुद्रित विशिष्ट पासकोड को संबंधित फ़ील्ड में दर्ज करें

चरण-3 — यदि दर्ज किए गए विवरण सही हैं, तो समन की विषय-वस्तु (जैसे, समन किए गए पक्ष का नाम, अधिकारी का नाम और पदनाम, समन की तिथि) समन की प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए स्क्रीन पर दिखाई जाएगी।

4. सिस्टम द्वारा जनित समन की प्रामाणिकता का सत्यापन समन जारी होने की तिथि के 24 घंटे बाद किया जा सकता है (सार्वजनिक अवकाश, शनिवार और रविवार को छोड़कर)।

5. जो समन सिस्टम के माध्यम से जनित नहीं हो सके, उन्हें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार टेलीफोन या ईमेल पर संपर्क के निर्दिष्ट बिंदु से संपर्क करके सत्यापित किया जा सकता है-

विवरण	ब्यौरा
संपर्क व्यक्ति का नाम	श्री राहुल वर्मा
पदनाम	सहायक निदेशक
पता	प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), ए – ब्लॉक, प्रवर्तन भवन, एपीजे कलाम रोड, नई दिल्ली - 110011
ईमेल आईडी	adinv2-ed[at]gov[dot]in
फोन न.	011-23339172

6. इसके अलावा, यह देखा गया है कि घोटालेबाज़ डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर आम जनता को ईडी सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जारी किए गए फ़र्ज़ी गिरफ्तारी आदेश दिखाकर और ईडी अधिकारी बनकर ठग रहे हैं। यह दोहराया जाता है कि ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारियाँ उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए और व्यक्तिगत रूप से की जाती हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत डिजिटल गिरफ्तारी या ऑनलाइन गिरफ्तारी की कोई अवधारणा नहीं है।

7. ईडी धोखाधड़ी की प्रथाओं को खत्म करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और जनता को सलाह देता है कि वे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का रूप धारण करने वाले धोखेबाजों के झांसे में न आएं।